



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ/नोडल अधिकारी एसओजी/सर्विलांस श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा गुमशुदा/खोये हुए कुल 105 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये है,को बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुम/खोए हुए मोबाइल के धारकों द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष व CEIR पोर्टल पर अपने मोबाइल खोने के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रार्थना पत्र दिये गये थे,जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम व थानों को गुम/खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये थे। प्रभारी एसओजी/सर्विलांस टीम निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्विलांस एवं थानों के टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए 105 अदद गुमशुदा/खोया हुआ मोबाइल की बरामदगी करते हुए आज दिनांक-01.10.2026 को मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल धारकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

बरामदगी:-

105 अदद मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये)

बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी
- 2.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
- 3.मुख्य आरक्षी नीतेश समाधिया
- 4.आरक्षी रोहित सिंह
- 5.आरक्षी आशीष यादव
- 6.आरक्षी रोशन सिंह
- 7.आरक्षी पवन राजपूत
- 8.आरक्षी राघवेन्द्र
- 9.आरक्षी गोलू भार्गव
- 10.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
- 11.आरक्षी जयनारायण पटैरिया

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत जंगल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में वांछित तीनों आरोपी अभियुक्तों को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.छैला पुत्र कुइसा उर्फ कटरी, निवासी ग्राम कशेरुवा, मजरा चुरेह कशेरुवा, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट।

2.पुरुषोत्तम कोल पुत्र रोशनलाल, निवासी ग्राम कशेरुवा, मजरा चुरेह कशेरुवा, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट।

3.विकास उर्फ छोटकू पुत्र भगवानदास, निवासी ग्राम कशेरुवा, मजरा चुरेह कशेरुवा, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट।

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय-

1.अभियुक्त छैला पुत्र कुइसा उर्फ कटरी को दिनांक 30.09.2026 को मराठी पुल के आगे की सड़क, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट से समय 13:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

2.अभियुक्त पुरुषोत्तम कोल एवं विकास उर्फ छोटकू को दिनांक 30.09.2026 को स्टेट बैंक, मानिकपुर के पास से समय 23:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2026 को पीड़िता/वादिया द्वारा थाना मानिकपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह विगत 05-07 माह से अतुल पुत्र छोड़न के साथ बिना विवाह के उसके घर पर रह रही है तथा उसे अपना पति मानती है। दिनांक 29.09.2026 को लगभग 14:00 बजे वह घरेलू कार्य से बाहर जा रही थी, तभी रास्ते में छैला पुत्र कुइसा उर्फ कटरी मिला और उससे कहा कि उसका पति उसे बुला रहा है। उसकी बातों में आकर पीड़िता उसके साथ जंगल की ओर चली गईं वहां पीछे से पुरुषोत्तम एवं विकास उर्फ छोटकू भी आ गए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0-156/2026, धारा 70(1), 351(3) बीएनएस बनाम छैला पुत्र अज्ञात, पुरुषोत्तम पुत्र अज्ञात एवं छोटकू पुत्र अज्ञात, निवासीगण अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तत्काल कार्रवाई करते हुए दिनांक 30.09.2026 को अभियुक्त छैला पुत्र कुइसा उर्फ कटरी को मराठी पुल के आगे की सड़क से तथा अभियुक्त पुरुषोत्तम कोल पुत्र रोशनलाल एवं विकास उर्फ छोटकू पुत्र भगवानदास को स्टेट बैंक मानिकपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त छैला पुत्र कुइसा उर्फ कटरी उपरोक्त को दिनांक 30.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तथा शेष दो अभियुक्तों को आज दिनांक 01.10.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय

2.निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा

3.उ0नि0 श्री कमलेश कुमार पाण्डेय

4.आरक्षी अभिषेक यादव

5.मुख्य आरक्षी चालक सज्जन कुमार

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

प्रथम पक्ष आवेदिका प्रियंका पाण्डेय पत्नी सत्येन्द्र पाण्डेय द्वारा द्वितीय पक्ष पति के सत्येन्द्र पाण्डेय के विरुद्ध प्रताड़ित करने तथा मारपीट आदि के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी सोनिका, महिला आरक्षी अनामिका सिंह शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
- 2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
- 3.महिला आरक्षी सोनिका
4. महिला आरक्षी अनामिका

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहेवादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री प्रभाष रंजन गुप्ता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनांक 01.10.2026 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छितानीराम पुत्र मुन्ना निवासी बाबाताल पुरवा ग्राम ददरीमाफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3764/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।